AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एम.ए. क्रमांक 65 वर्ष 2018
26.06.2019 को आरक्षित
11.07.2019 को घोषित

1. गिरधारी पुत्र रेवाराम लोधी उम्र लगभग 44 वर्ष व्यवसाय–कृषक, निवासी ग्राम– परसबोड़, तहसील– साजा, जिला– बेमेतरा, छत्तीसगढ़.

2. भगवती पत्नी मीनाराम लोधी उम्र लगभग 44 वर्ष व्यवसाय–कृषक, निवासी ग्राम– परसबोड़, तहसील– साजा, जिला– बेमेतरा, छत्तीसगढ़.

---- अपीलार्थीगण

बनाम

बाराती उर्फ भोंदू पुत्र स्वर्गीय रेवाराम लोधी उम्र लगभग 55 वर्ष व्यवसाय–कृषक, निवासी ग्राम– पारसबोड़, तहसील– साजा, जिला– बेमेतरा, छत्तीसगढ़.

----- प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण के लिये : सुश्री शर्मिला सिंघई एवं जी.के.चावला अधिवक्ता
प्रत्यर्थी के लिये : श्री पी.आर.पाटनकर एवं श्री वेदांत भेलोंडे

एकल पीठ: माननीय श्री संजय अग्रवाल, न्यायमूर्ति
सी.ए.वी. आदेश/निर्णय

1. यह विविध अपील प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई है,

जिसमें सिविल अपील क्रमांक 19ए/2017 में विद्वान जिला न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 के निर्णय की वैधता और औचित्यता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके तहत व्यवहार वाद क्रमांक 22–ए/2015 में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–II, साजा, जिला बेमेतरा द्वारा दिनांक 03.07.2017 को पारित निर्णय और डिक्री को उलट दिया गया है और मामले को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'व्य.प्र.सं.' कहा जाएगा) के आदेश 41 नियम 23 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विधि के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले के संक्षेप में तथ्य यह हैं कि वादी/प्रत्यर्थी द्वारा स्वत्व की घोषणा, विभाजन, पृथक कब्जा तथा निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया गया, जिसमें वाद अनुसूची–'ए' में वर्णित वाद संपत्ति पर एक तिहाई हिस्सा होने का दावा किया गया है। वाद पत्र में अभिकथित किया गया है कि विचाराधीन संपत्ति पैतृक संपत्ति है, जो उसके दादा गणेश, जो इसके पूर्व मालिक थे, की मृत्यु के बाद उसके पिता रेवाराम लोधी को विरासत में मिली थी। आगे यह दलील दी गई है कि उसकी

मां भंगीन बाई ने पिता से कुछ संपत्तियां प्राप्त करने के बाद खुद को संयुक्त परिवार से अलग कर लिया और उसके बाद शेष संपत्ति, यानी वाद भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति में रही। वाद में आगे दिए गए कथनों के अनुसार, वाद अनुसूची 'ए' में वर्णित वाद संपत्ति को प्रतिवादियों द्वारा उसकी जानकारी के बिना विभाजित कर लिया गया था और 04.03.1998 को राजस्व कागजात का नामांतरण करवाने में सफल रहे। वादी द्वारा आगे यह अभिवचनित किया गया है कि जब उसने जनवरी, 2015 के महीने में वाद भूमि के विभाजन की मांग की, तो उनके द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए, उसे तत्काल प्रकृति का वाद संस्थित करने के लिए बाध्य किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. वाद का सम्मन प्राप्त होने पर, प्रतिवादियों द्वारा वाद को खारिज करने की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आक्षेप लगाया गया है कि वाद संस्थित किये जाने से पहले, वादी और उसके बेटों ने एक वाद दायर किया था, जो व्यवहार वाद क्रमांक 13–ए/2011 था, जिसमें ग्राम परसबोड़, तहसील साजा, जिला–बेमेतरा में स्थित खसरा क्रमांक

941 और 1832 क्रमशः 2.61 और 3.50 हेक्टेयर की संपत्तियों के संबंध में स्वत्व की घोषणा, निषेधाज्ञा, कब्जा और क्षति के लिए का दावा किया गया था। उक्त वाद को विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 27.09.2014 के तहत खारिज कर दिया था, इसलिए जैसा कि तैयार किया गया वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है और व्य.प्र.सं. की धारा 11 के तहत प्रदान किए गए न्यायिक सिद्धांतों पर खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उपरोक्त आवेदन के उत्तर में, वादी द्वारा यह कहा गया है कि पूर्व में संस्थित वाद में शामिल विषय वस्तु वर्तमान वाद से काफी अलग है और आगे कहा गया है कि पूर्व न्याय के विवाद्यक में विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न शामिल है और विवाद्यक विरचित किया बिना, यह नहीं माना जा सकता है कि वाद पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

5. पक्षकारो की उपरोक्त दलीलों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 03.07.2017 के फैसले में

निष्कर्ष निकाला कि चूंकि विभाजन 04.03.1998 को ही हो चुका था और इसका फैसला 27.09.2014 को व्यवहार वाद क्रमांक 13–ए/2011 के रूप में पूर्व में संस्थित वाद में किया जा चुका था, इसलिए यह वाद व्य.प्र.सं. की धारा 11 के तहत पूर्व न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। परिणामस्वरूप, वाद सुनवाई योग्य नहीं माना जाता है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. निचली अपीलीय अदालत ने वादी द्वारा दायर अपील में विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष को पलट दिया है। निचली अपीलीय अदालत ने पाया है कि पूर्व में संस्थित वाद में शामिल विषय वस्तु खसरा क्रमांक 941 और 1832 की संपत्तियों के संबंध में स्वत्व की घोषणा, कब्जे और नुकसान के संबंध में थी और इसलिए यह वर्तमान वाद की प्रकृति से अलग है, जहां वादी द्वारा अन्य अनुतोषो के साथ विभाजन का दावा किया गया है। आगे व्यक्त किया कि पूर्व न्याय का प्रश्न विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न नहीं है और वास्तव में, इसमें विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न शामिल है और अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा पूर्व में संस्थित वाद के अभिवचनो को प्रस्तुत न किए जाने के

कारण, इसे पूर्व न्याय के सिद्धांतों पर खारिज नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, मामले को व्य.प्र.सं. के आदेश 41 नियम 23 के तहत उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वापस भेज दिया गया है। यह वह निर्णय है जिसे इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई ने व्यक्त किया कि निचली अदालत ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को पलटते हुए यह निर्णय पारित किया है कि पूर्व में संस्थित वाद की विषय वस्तु वर्तमान वाद की प्रकृति से अलग है और व्य.प्र.सं. की धारा 11 के तहत खारिज करने योग्य नहीं है, जो स्पष्ट रूप से विधि के विपरीत है। उनके अनुसार, चूंकि विभाजन का तथ्य पहले से ही एक वाद में निर्णीत किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान वाद विशेष रूप से पूर्व न्याय के सिद्धांतों से ग्रस्त है। उक्त विवाद्यक पर उचित तरीके से विचार किए बिना, निचली अदालत ने मामले को इस तरह से वापस भेजने में अवैधानिकता की है। समर्थन में, उन्होंने **(2018) 14 एससीसी 495** में रिपोर्ट किया गया **मोहम्मद खान (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधियों बनाम इब्राहिम खान और अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय का आधार लिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए व्यक्त किया कि पूर्व के वाद की प्रकृति और उसमें खसरा क्रमांक 941 और 1832 की संपत्तियों के संबंध में स्वत्व की घोषणा, कब्जे और नुकसान के लिए दावाकृत अनुतोष वर्तमान वाद से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और इसलिए निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं के उक्त आवेदन को खारिज करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। उन्होंने आगे व्यक्त किया कि पूर्व न्याय का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और वाद प्रश्नो की विरचना किए बिना इसका फैसला नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, पूर्व में संस्थित वाद के अभिवचनो के अभाव में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान वाद पूर्व न्याय के सिद्धांतों से ग्रस्त है जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है। समर्थन में, उन्होंने **(2002) 2 एससीसी 85, (2000) 3 एससीसी 350** और **(2008) 12 एससीसी 661** में रिपोर्ट किए गए क्रमशः **मधुकर डी. शेंडे बनाम ताराबाई अबा शेडेज, सज्जादानशीन सईद एमडी. बी.ई. एड. (डी) द्वारा एलआर बनाम मूसा दादाभाई उमर और अन्य** और **कमला और अन्य बनाम के.टी. ईश्वर एसए और अन्य** के मामले में निर्धारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिद्धांतों का आधार लिया ।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा इस अपील के साथ संलग्न समस्त कागजातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

10. वादी द्वारा ग्राम परसबोड़, तहसील साजा, जिला बेमेतरा में स्थित वाद अनुसूची–'ए' में वर्णित प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में स्वत्व की घोषणा, विभाजन, कब्जा एवं निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया गया था। वादी के अनुसार, प्रश्नगत संपत्ति उसके पिता रेवाराम को विरासत में मिली थी, तथापि, प्रतिवादियों ने उसकी जानकारी के बिना 04.03.1998 को अपने नाम दर्ज राजस्व कागजात प्राप्त कर लिए तथा जब उसने विभाजन की मांग की, तो उनके द्वारा इंकार कर दिया गया। इसलिए उसके द्वारा वर्तमान प्रकृति का वाद दायर किया गया। वाद का सम्मन प्राप्त होने पर, प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन दाखिल करने के बजाय, पूर्व न्याय के सिद्धांतों के आधार पर वाद की पोषणीयता पर प्रश्न उठाते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, वादी और उनके बेटों द्वारा खसरा क्रमांक 941 और 1832 की संपत्तियों के संबंध में स्वत्व की घोषणा, कब्जे, निषेधाज्ञा और क्षति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की घोषणा का दावा करते हुए उनके विरूद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 13-ए/2011 संस्थित किया गया था। उक्त वाद को विचारण न्यायालय ने अपने फैसले और डिक्री दिनांक 27.09.2014 के तहत खारिज कर दिया था। उसी के फैसले की प्रति प्रस्तुत करते समय प्रतिवादियों का तर्क था कि चूंकि विभाजन के तथ्य पर पहले ही दिनांक 04.03.1998 के उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए निर्णय किया जा चुका है, इसलिए अन्य अनुतोषो के साथ विभाजन का दावा करने वाला वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि यह व्य.प्र.सं. की धारा 11 के तहत प्रावधानित पूर्व न्याय के सिद्धांतों से प्रभावित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वादी द्वारा उक्त आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि चूंकि पूर्व में संस्थित वाद में शामिल विषय-वस्तु वर्तमान वाद से भिन्न थी, इसलिए तर्क के अनुसार पूर्व न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते और पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज किए बिना वाद को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न शामिल है।

12. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आवेदन में उक्त विवाद्यक को उठाते समय, पूर्व में संस्थित वाद के अभिवचनो को प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। यह विधि का स्थापित

सिद्धांत है कि इस तथ्य का पता लगाने के लिए कि क्या वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से ग्रस्त है, पूर्व में संस्थित वाद के अभिवचनो को प्रस्तुत करना आवश्यक है और प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। इसके अभाव में, यह मानना मुश्किल है कि तैयार किया गया वाद पूर्व न्याय के सिद्धांतों से प्रभावित है, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है।

13. इस मामले में अपीलकर्ताओं ने उक्त आवेदन दाखिल करते समय केवल पूर्व में संस्थित वाद के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। हालांकिए केवल पूर्व में संस्थित वाद में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत करना ही इस विवाद्यक को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि पूर्व न्याय का प्रश्न केवल संपूर्ण वाद के अभिवचनोए विवाद्यको और निर्णय और डिक्री का संदर्भ देकर निर्धारित किया जाना हैए उक्त विवाद्यक को तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों मेंए और पिछले वाद के अभिवचनो के सबूत के अभाव मेंए अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए पूर्व न्याय के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस मोड़ पर, **मधुकर डी. शेंडे बनाम ताराबाई आबा शेडगे** (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां यह देखा गया है कि पूर्व न्याय का बिंदु विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है और पूर्व में संस्थित वाद की

अभिवचनो के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। फिर भी **सज्जादानशीन सईद एमडी बी.ई. एड. (डी) बाय एलआरएस बनाम मूसा दादाभाई उमर और अन्य** (सुप्रा) के मामले में जिसमें समान सिद्धांत पैराग्राफ 18 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

> 18. भारत में, मुल्ला ने इसी तरह के परीक्षणों का उल्लेख किया है (मुल्ला, 15 वां संस्करण, पृष्ठ 104)। विद्वान लेखक कहते हैं: जिस मामले के संबंध में पूर्व में संस्थित वाद में अनुतोष का दावा किया जाता है, उसे आम तौर पर "प्रत्यक्षत: और सारत:" विवाद्यक माना जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मामला ऐसा है जिसके संबंध में कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है तो यह प्रत्यक्षत: या सारत:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवाद्यक नहीं है। यह हो भी सकता है और नहीं भी। यह संभव है कि यह "प्रत्यक्षत: और सारत:" विवाद्यक था और यह भी संभव है कि यह केवल संपार्श्विक या संयोगवश मुद्दा था, जो मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। सवाल यह उठता है कि यह तय करने के लिए क्या परीक्षण है कि कोई मामला किस श्रेणी में आता है? एक परीक्षण यह है कि यदि मुख्य विवाद्यक पर निर्णय लेने के लिए विवाद्यक का निर्णय लेना "आवश्यक" था और निर्णय लिया गया था, तो इसे "प्रत्यक्षत: और सारत:" विवाद्यक के रूप में माना जाना चाहिए और यदि यह स्पष्ट है कि निर्णय वास्तव में उस निर्णय पर आधारित था, तो यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाद के मामले में पूर्व न्याय होगा (मुल्ला, पृष्ठ 104)। किसी को वाद पत्र, लिखित कथन, वाद प्रश्नो और निर्णय की जांच करनी होगी ताकि पता चल सके कि मामला प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्यक से संबंधित था (ईश्वर सिंह बनाम सरवन सिंह (एआईआर 1965 एससी 948) और सैयद मोहम्मद सली लब्बाई बनाम मोहम्मद हनीफा {(1976) 4 एससीसी 780)}। हमारा मानना है कि मुल्ला में उपरोक्त सारांश विधि का सही कथन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **कमला एवं अन्य बनाम के.टी. ईश्वर एसए एवं अन्य** (सुप्रा) के मामले में, जिसमें विचारण न्यायालय ने पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन के लिए एक वाद में वाद पत्र को खारिज करने के

लिए एक आवेदन को स्वीकार किया था और उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई थी और व्य.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों के विस्तार, परिधि और प्रयोग की जांच करने के बाद, इसमें पैराग्राफ 21, 22 और 23 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) में सीमित आवेदन है। यह दिखाया जाना चाहिए कि वाद किसी भी विधि के तहत वर्जित है। इस तरह का निष्कर्ष वाद पत्र में किए गए कथनों से निकाला जाना चाहिए। हमारे विचार में, आदेश 7 नियम 11 में विभिन्न खंडों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। जबकि किसी दिए गए मामले में, वाद पत्र को खारिज करने के लिए आवेदन उसके विभिन्न उप–खंडों में निर्दिष्ट एक से

अधिक आधारों पर दायर किया जा सकता है, इस संबंध में एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। संहिता के आदेश 7 नियम 11 के खंड (घ) को लागू करने के लिए प्रासंगिक क्या होगा, वाद पत्र में किए गए कथन हैं। उस प्रयोजन के लिए, कोई जोड़ या घटाव नहीं किया जा सकता है। न्यायालय की ओर से क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति को विभिन्न चरणों में और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू किया जा सकता है। संहिता का आदेश 7 नियम 11 एक है, आदेश 14 नियम 2 दूसरा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) को लागू करने के प्रयोजन के लिए, किसी भी साक्ष्य पर गौर नहीं किया जा

सकता है। मामले के गुणदोष पर विवाद्यक जो पक्षकारो के बीच उत्पन्न हो सकते हैं, उस स्तर पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होंगे। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सभी विवाद्यक किसी आदेश की विषय वस्तु नहीं होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. पूर्व न्याय के सिद्धांत, जब आकर्षित होते हैं, तो संहिता की धारा 12 के मद्देनजर दूसरे वाद पर रोक लगा देंगे। विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न से संबंधित प्रश्न जिसके लिए न केवल वादपत्र की जांच की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि अन्य साक्ष्य और पूर्व संस्थित वाद में पारित आदेश की भी आवश्यकता हो सकती है, उसे या तो प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में या अंतिम

सुनवाई में लिया जा सकता है, लेकिन उक्त प्रश्न को उस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

16. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि व्य.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से केवल वादपत्र के कथनों पर ही गौर करना होगा। वादपत्र से यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकृति का वाद दायर करते समय वादी/प्रत्यर्थी ने पहले के वाद के बारे में विवरण नहीं दिया है, जैसा कि अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने अपने आवेदन व्यक्त किया था। इस अर्थ में, वादी/प्रत्यर्थी दमन और छिपाने का दोषी हो सकता है, यदि अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा किया गया खुलासा अंततः सिद्ध पाया जाता है। हालांकि, विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा पेश किये गये तर्क को पूर्व न्याय के सिद्धांतों पर वादपत्र को खारिज करने के लिए उक्त आवेदन पर निर्णय लेते समय नहीं देखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अब, जहाँ तक सुश्री सिंघई की दलील का सवाल है, जो मोहम्मद खान (मृत) बनाम कानूनी प्रतिनिधियों बनाम इब्राहिम खान और अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित है, तथापि, खारिज किए जाने का उल्लेख किया गया है। यह सच है कि उस मामले में पिछले वाद के अभिवचन पेश नहीं किये गये, लेकिन उक्त मामले में यह पता चलता है कि वादी ने 24.05.1972 की बिक्री विलेख के आधार पर कब्जे के लिए वाद दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह आक्षेप लगाया गया था कि 21.02.1981 को विचारण न्यायालय द्वारा उसके पहले वाद को खारिज किए जाने के बाद, जिसकी अपीलीय न्यायालय ने 16.07.1985 को पुष्टि की थी, प्रतिवादी द्वारा सितंबर, 1983 में उसे जबरन बेदखल कर दिया गया था। उक्त पहले का वाद उक्त बिक्री विलेख के आधार पर स्वत्व की घोषणा, कब्जा और निषेधाज्ञा के लिए था। इसलिए, वादी संपत्ति पर अपना अधिकार और कब्जे का अधिकार भी मांग रहा था और उक्त वाद (पहले के वाद) के लंबित रहने के दौरान उसे सितंबर, 1983 में बेदखल कर दिया गया था। इसलिए, यह देखा गया कि केवल बेदखली की अलग–अलग तारीखें देने से यह नहीं माना जा सकता कि पूर्व

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे क्योंकि मामले में विवाद्यक प्रत्यक्षत: और सारत: एक ही था। हालाँकि, यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है और इसलिए, उक्त न्याय दृष्टांत अलग–अलग है और अपीलकर्ताओं के लिए बचाव के रूप में नहीं आएगा।

18. मामले की पूर्वोक्त विवेचनाओं को देखते हुए और सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, वादी द्वारा दायर अपील में निचली अपीलीय अदालत द्वारा वाद को खारिज करने के फैसले को, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय द्वारा वर्जित माना गया था, सही रूप से खारिज कर दिया गया है और मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिखती। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जानी चाहिए और इसकी पुष्टि की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामस्वरूप, अपील में कोई गुण नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही /–

(संजय अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur